

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 873वी बैठक दिनांक 05.03.2025
का कार्यवाही विवरण**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 873वी बैठक दिनांक 05.03.2025 को श्री शिव नारायण सिंह चौहान, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एफ़ो, पर्यावरण परिसर, भोपाल में निम्नानुसार सदस्यों की उपस्थिति में सम्पन्न हुई :-

1. डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्रीमती आर. उमामाहेश्वरी, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

बैठक के प्रारंभ में प्रभारी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये :-

क्र	प्रकरण क्र.	अधिसूचित श्रेणी	जिला	परियोजना	SEAC अनुशंसित/ परिवेश पोर्टल पर आवेदित	प्राधिकरण का निर्णय
1.	P2/813/24	1(a)	गुना	पत्थर खदान	ToR (DEIAA - EC)	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
2.	P2/815/24	1(a)	जबलपुर	पत्थर खदान	ToR (DEIAA - EC)	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
3.	P2/816/24	1(a)	जबलपुर	पत्थर खदान	ToR (DEIAA - EC)	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
4.	P2/826/24	1(a)	जबलपुर	पत्थर खदान	ToR (DEIAA - EC)	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
5.	P2/802/24	1(a)	सिवनी	पत्थर खदान	ToR (DEIAA - EC)	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
6.	P2/833/24	1(a)	सिंगरौली	पत्थर खदान	ToR (DEIAA - EC)	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
7.	P2/834/24	1(a)	सिंगरौली	पत्थर खदान	ToR (DEIAA - EC)	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
8.	P2/829/24	1(a)	सागर	पत्थर एवं एम. सेण्ड खदान	ToR (DEIAA - EC)	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
9.	P2/818/24	1(a)	जबलपुर	पत्थर एवं मुरुम खदान	ToR (DEIAA - EC)	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
10.	P2/821/24	1(a)	छतरपुर	पत्थर एवं एम. सेण्ड खदान	ToR (DEIAA - EC)	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
11.	P2/792/24	1(a)	मंदसौर	पत्थर खदान	ToR (DEIAA - EC)	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित

(आर. उमामाहेश्वरी)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 873वी बैठक दिनांक 05.03.2025
का कार्यवाही विवरण**

12.	P2/877/24	1(a)	गुना	पत्थर खदान	ToR (DEIAA - EC)	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
13.	P2/852/24	1(a)	मंदसौर	पत्थर खदान	ToR (DEIAA - EC)	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
14.	P2/894/24	1(a)	कटनी	पत्थर खदान	ToR (DEIAA - EC)	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
15.	P2/886/24	1(a)	बालाघाट	पत्थर खदान	ToR (DEIAA - EC)	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित

1. **Case No. P2/813/24** Prior Environment Clearance for Piproda Khurd Stone with a Production Capacity of 5,985 Cubic Meter / Year Gitti having a lease area of 2.00 Ha., Khasra no. – 2/1 Min-1, Village – Piproda Khurd, Tehsil– Guna, DisttGuna(M.P.)by Shri Rakesh Raghuwanshi, Hira bagh Colony, Guna Distt. – Guna (M.P.) - 473001 [MIN/467552/2024] ToR.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 755 वी बैठक दिनांक 21.05.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित स्टैंडर्ड ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टि परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :-

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (Office Memorandum) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (Office Memorandum) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित SOP प्रक्रिया के अनुरूप DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति का SEIAA/SEAC द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में ToR जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण SEAC समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी-1 श्रेणी का मानते हुये उनमें Standard ToR जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबंध में प्राधिकरण के पत्र क्र. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क्र. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किये जाये। तदनुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।

(आर. उमामहेश्वरी)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 873वी बैठक दिनांक 05.03.2025
का कार्यवाही विवरण**

2. **Case No. P2/815/24** Shri Murlidhar Bathija, Lease Owner, Plot No 7, Govindkunj, Napier Town Jabalpur (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 2.00 ha. (9,189 cum per annum) (Khasra No. 60 Part) Village Manegaon, Tehsil-Jabalpur, Dist-Jabalpur (M.P.). (TOR) [MIN/467690/2024 (DEIAA- Re-appraisal)] TOR

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 755 वी बैठक दिनांक 21.05.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित स्टैण्डर्ड ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टि परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :-

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (Office Memorandum) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (Office Memorandum) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित SOP प्रक्रिया के अनुरूप DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति का SEIAA/SEAC द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में ToR जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण SEAC समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी-1 श्रेणी का मानते हुये उनमें Standard ToR जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबंध में प्राधिकरण के पत्र क्र. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क्र. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

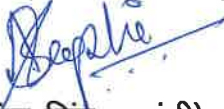
अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किये जाये। तदनुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।

3. **Case No. P2/816/24** Shri Sunita Singh, Lease Owner, 1070, Sanjeewni Nagar, Distt. Jabalpur (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 2.00 ha. (26,988 cum per annum) (Khasra No.8/8) Village- Ghutiya, TehsilJabalpur, Dist- Jabalpur (M.P.). (TOR) [MIN/467650/2024 (DEIAA- Reappraisal)] TOR

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 755 वी बैठक दिनांक 21.05.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित स्टैण्डर्ड ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टि परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :-


(आर. उमामहेश्वरी)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 873वीं बैठक दिनांक 05.03.2025
का कार्यवाही विवरण

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (Office Memorandum) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (Office Memorandum) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित SOP प्रक्रिया के अनुरूप DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति का SEIAA/SEAC द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में ToR जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण SEAC समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी-1 श्रेणी का मानते हुये उनमें Standard ToR जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबंध में प्राधिकरण के पत्र क. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किये जाये। तदनुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।

4. **Case No. P2/826/24** Shri GULAB BAGHEL, Lease Owner, R/O-244, Sanjeevani Nagar, Garha, District-Jabalpur, State-Madhya Pradesh. Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 1.8 ha. (25,155 cum per annum) (Khasra No. 26 Part) Village-Khurshi tehsil-Jabalpur, district-Jabalpur (M.P.). (DEIAARe-appraisal)] TOR

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 756 वीं बैठक दिनांक 22.05.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित स्टैंडर्ड ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टि परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :-

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (Office Memorandum) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (Office Memorandum) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित SOP प्रक्रिया के अनुरूप DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति का SEIAA/SEAC द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में ToR जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण SEAC समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी-1 श्रेणी का मानते हुये उनमें Standard ToR जारी

(आर. उमामहेश्वरी)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबंध में प्राधिकरण के पत्र क. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किये जाये। तदानुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।

5. **Case No. P2/802/24** Shri Ranjeet Khare, Owner, S/o, Lakhan Bihari Khare, C.V Raman Wardn Babuji Nagar Barapatthar Seoni (M.P.), Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 3.85 ha. (39,900 cum per annum) (Khasra No. 4) Village – Kuklah, Tehsil & District – Seoni (M.P.). (DEIAA-Re-appraisal)] (TOR)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 756 वी बैठक दिनांक 22.05.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित स्टैण्डर्ड ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टि परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :-

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (Office Memorandum) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (Office Memorandum) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित SOP प्रक्रिया के अनुरूप DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति का SEIAA/SEAC द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में ToR जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण SEAC समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी-1 श्रेणी का मानते हुये उनमें Standard ToR जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबंध में प्राधिकरण के पत्र क. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किये जाये। तदानुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।

6. **Case No. P2/833/24** Shri Shyamlal Jayswal, R/o-Village-Sarai, Post- Sarai, Tehsil Sarai, District- Singrauli, M.P 486181. Prior Environment Clearance for Jhara Stone Quarry, Khasra No. -3130/1]

(आर. उमामहेश्वरी)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 873वी बैठक दिनांक 05.03.2025
का कार्यवाही विवरण**

Lease Area- 4.00 ha., Proposed Production Capacity – 42,591 Cum/Year, Village Jhara, Tehsil - Sarai, District - Singrauli (M.P.). ToR. [MIN/464168/2023] (ToR), Form-2 DEIAA to SEIAA.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 756 वी बैठक दिनांक 22.05.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित स्टैण्डर्ड ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टि परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :-

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (Office Memorandum) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (Office Memorandum) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित SOP प्रक्रिया के अनुरूप DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति का SEIAA/SEAC द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में ToR जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण SEAC समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी-1 श्रेणी का मानते हुये उनमें Standard ToR जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबंध में प्राधिकरण के पत्र क्र. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क्र. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किये जाये। तदनुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।

7. **Case No. P2/834/24** Smt. Seema Jaiswal, W/o Shyamlal Jaiswal R/o-Village- Sarai Post- Sarai, District- Singrauli, M.P - 486881. Prior Environment Clearance for Katheri Stone Quarry, Khasra No. - 1328 Part, Lease Area- 2.00 ha., Proposed Production Capacity – 22,140 Cum/Year, Village - Katheri, Tehsil - Sarai, District – Singrauli (M.P.). ToR. [MIN/463997/2024] ToR, Form-2 DEIAA to SEIAA.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 756 वी बैठक दिनांक 22.05.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित स्टैण्डर्ड ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टि परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :-


(आर. उमामहेश्वरी)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 873वी बैठक दिनांक 05.03.2025
का कार्यवाही विवरण

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (Office Memorandum) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (Office Memorandum) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित SOP प्रक्रिया के अनुरूप DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति का SEIAA/SEAC द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में ToR जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण SEAC समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी-1 श्रेणी का मानते हुये उनमें Standard ToR जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबंध में प्राधिकरण के पत्र क. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किये जाये। तदनुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।

8. **Case No. P2/829/24** Shri PRAVIN RICHHARIYA, Proprietor of M/S Dhanya Stone Crusher, R/o-H.No. 08, Jain Mandir Gali, Pantnagar Ward Sagar, District Sagar, (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 2.00 ha. (M-Sand-4447 cum per annum & Gitti-4940 cum per annum) (Khasra No. 365/1) Village Talchiri, Tehsil Sagar, District Sagar (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 756 वी बैठक दिनांक 22.05.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित स्टैंडर्ड ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टि परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :-

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (Office Memorandum) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (Office Memorandum) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित SOP प्रक्रिया के अनुरूप DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति का SEIAA/SEAC द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में ToR जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण SEAC समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी-1 श्रेणी का मानते हुये उनमें Standard ToR जारी


(आर. उमामहेश्वरी)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 873वी बैठक दिनांक 05.03.2025
का कार्यवाही विवरण**

किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबंध में प्राधिकरण के पत्र क. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किये जाये। तदनुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।

9. **Case No. P2/818/24** NEELAM YADAV, Lease Owner, VILLAGE- MANGELI, NIGRI, JABALPUR, MADHYA PRADESH. Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 2.00 ha पत्थर—6970 घनमीटर/वर्ष एवं मुरम—1,164 घनमीटर/वर्ष, घनमीटर/ वर्ष (Khasra No. 24 Part) Village- Manegaon, Tehsil- Jabalpur, DistJabalpur (M.P.).

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 757 वी बैठक दिनांक 24.05.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित स्टैण्डर्ड ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टि परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :—

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (Office Memorandum) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (Office Memorandum) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित SOP प्रक्रिया के अनुरूप DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति का SEIAA/SEAC द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में ToR जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण SEAC समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी-1 श्रेणी का मानते हुये उनमें Standard ToR जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबंध में प्राधिकरण के पत्र क. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किये जाये। तदनुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।

10. **Case No. P2/821/24** Shri Nitish Chaturvedi, Partner & Authorized Signatory, M/s KHAJURAHO STONES (INDIA) PRIVATE LIMITED, 6 Km Sagar road, Dhadari, Chhatarpur, Madhya Pradesh

(आर. उमामहेश्वरी)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 873वी बैठक दिनांक 05.03.2025
का कार्यवाही विवरण**

471001. Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 3.15 ha. (Stone-76,400 TPA, Boulder-76,400 TPA and M- Sand-2,29,320 TPA) (Khasra No. 741) Village – Ghoora, Tehsil - Rajnagar, District- Chhatarpur (M.P.).

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 757 वी बैठक दिनांक 24.05.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित स्टैण्डर्ड ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टि परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :-

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (Office Memorandum) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (Office Memorandum) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित SOP प्रक्रिया के अनुरूप DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति का SEIAA/SEAC द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में ToR जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्राणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण SEAC समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी-1 श्रेणी का मानते हुये उनमें Standard ToR जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबंध में प्राधिकरण के पत्र क्र. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क्र. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किये जाये। तदनुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।

11. **Case No. P2/792/24:** Prior Environment Clearance for Stone mine in an area of 1.640 ha. for production capacity of Stone – 9500 m³/Year at Khasra No. 151, Village - Makdawan, Tehsil - Shyamgarh, District - Mandsaur (M.P.) by Shri Prahlad Rai, Director, Donypolo Udyog Limited, R/o- Shamgarh, Tehsil- Shamgarh, District- Mandsaur, M.P.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 757वी बैठक दिनांक 24.05.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित स्टैण्डर्ड ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टि परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :-


(आर. उमामहेश्वरी)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 873वी बैठक दिनांक 05.03.2025
का कार्यवाही विवरण

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (Office Memorandum) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (Office Memorandum) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित SOP प्रक्रिया के अनुरूप DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति का SEIAA/SEAC द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में ToR जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण SEAC समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी-1 श्रेणी का मानते हुये उनमें Standard ToR जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबंध में प्राधिकरण के पत्र क. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किये जाये। तदनुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।

12. **Case No P2/877/2024:** Prior Environment Clearance for Piproda Khurd Stone mine for making Gitti Area - 2.0 ha with a Production Capacity of 10,000 Cubic Meter / Year., Khasra no. - 63, Village - Piproda Khurd, Tehsil- Guna, DisttGuna(M.P.) by Shri Vijyendra Singh Raghuvanshi, Lessee, Village Dhamnar, Tehsil - Guna, District - Guna (MP) 473001.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 759वी बैठक दिनांक 28.05.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित स्टैंडर्ड ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टि परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :-

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (Office Memorandum) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (Office Memorandum) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित SOP प्रक्रिया के अनुरूप DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति का SEIAA/SEAC द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में ToR जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण SEAC समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी-1 श्रेणी का मानते हुये उनमें Standard ToR जारी


(आर. उषामहेश्वरी)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबंध में प्राधिकरण के पत्र क. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किये जाये। तदनुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।

13. **Case No P2/852/24:** Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 2.00 ha. (7500 cum per annum) (Khasra No. 463/1) Village MUNDARI Tehsil Malhargarh District Mandsaur (M.P.) by Shri Ummed Parihar, Owner, Sindpan, Tehsil- Malhargarh, Dist.-Mandsaur (M.P.) (TOR).

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 760वीं बैठक दिनांक 29.05.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित स्टैंडर्ड ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टि परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :-

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (Office Memorandum) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (Office Memorandum) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित SOP प्रक्रिया के अनुरूप DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति का SEIAA/SEAC द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में ToR जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

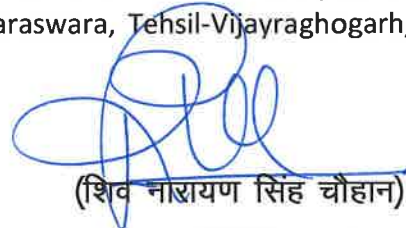
इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण SEAC समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी-1 श्रेणी का मानते हुये उनमें Standard ToR जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबंध में प्राधिकरण के पत्र क. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किये जाये। तदनुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।

14. **Case No P2/894/24:** Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 1.930 ha. (27,000 cum per annum) (Khasra No. 1223, 1228/2, 1227) Village - Paraswara, Tehsil-Vijayraghgarh,


(आर. उमामहेश्वरी)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 873वी बैठक दिनांक 05.03.2025
का कार्यवाही विवरण**

District-Katni (M.P.). Shri Nawab Khan, Lease Owner, Bus Stand, Amraiypar, Kymore, Katni (M.P.). DEIAA NEW (TOR)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 761वी बैठक दिनांक 30.05.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित स्टैण्डर्ड ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टि परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :-

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (Office Memorandum) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (Office Memorandum) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित SOP प्रक्रिया के अनुरूप DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति का SEIAA/SEAC द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में ToR जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण SEAC समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी-1 श्रेणी का मानते हुये उनमें Standard ToR जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबंध में प्राधिकरण के पत्र क्र. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क्र. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किये जाये। तदनुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।

- 15. Case No P2/886/24:** Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 1.62 ha. for production capacity of 8550 cum per annum at Khasra No. 516 at Village- Akola, Tehsil- Kiranpur, District-Balaghat (M.P.) by Mohd Khan, Owner, Ward no. 03, gondia road village - Kosmi Balaghat, Balaghat, Madhya Pradesh - 481001

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 761वी बैठक दिनांक 30.05.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित स्टैण्डर्ड ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टि परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :-

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (Office Memorandum) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (Office

(आर. उमामहेश्वरी)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 873वी बैठक दिनांक 05.03.2025
का कार्यवाही विवरण

Memorandum) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित SOP प्रक्रिया के अनुरूप DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति का SEIAA/SEAC द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में ToR जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण SEAC समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी-1 श्रेणी का मानते हुये उनमें Standard ToR जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबंध में प्राधिकरण के पत्र क. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किये जाये। तदनुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।

अंत में बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।


(आर. उमामहेश्वरी)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष